अनुदान संख्या 102 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 102 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3389,56,00		3393,28,00	3021,52,46	-371,75,54
पूरक	Supplementary	3,72,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					372,64,93
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			7,76,00	2,51,38	-5,24,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,24,61

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹37175.54 लाख) दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹372.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित की गई राशि (₹37264.93 लाख) भी समग्र बचतों से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹37175.54 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹372.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (37264.93 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेल और युवा सेवायें	Sports and Youth Services				
मू.	O.	297921.00			
पू.	S.	371.00	298310.00	298399.39	+89.39
पु.	R.	18.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	36849.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-36850.00			

(I) चौदह शीर्षों के अंतर्गत ₹39350.20 लाख का प्रावधान (₹1.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹39150.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2204" –

(क) "खेल और क्रीडा – जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं का संवर्धन" – ₹1500.00 लाख – जम्मू और कश्मीर राज्य खेल परिषद के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – एन. वाई. के. एस. और एन. एस. एस. का सुदृढीकरण" – ₹800.00 लाख – एन. वाई. के. एस. और एन. एस. एस. के सुदृढीकरण परियोजना के विस्तार को अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(I) Provision of ₹39350.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.20 lakhs) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹39150.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" -

(a) "Sports and Games - Enhancement of Sports Facility at J&K" - ₹1500.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year as with Jammu Kashmir State Sports Council.

(b) "International Cooperation - Strengthening of NYKS and NSS" - ₹800.00 lakhs - due to non-approval of extension of project Strengthening of NYKS & NSS.

(B) Major Head "2552" -

(क) "खेल और युवा सेवायें – विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय सेवा योजना" – ₹1850.00 लाख;

(ख) "खेल और युवा सेवायें – गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम" – ₹1135.70 लाख (₹0.70 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "खेल और युवा सेवायें – खेल और क्रीडायें" –

(i) "राष्ट्रीय खेल फ़ेडरेशनों को सहायता" – ₹3250.00 लाख;

(ii) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹7500.00 लाख;

(iii) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान"– ₹1000.00 लाख;

(iv) "खेलो इंडिया" – ₹7300.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय" – ₹10714.00 लाख;

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना" – ₹1700.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंध के अंतर्गत अनुदान" – ₹2400.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(a) "Sports and Youth Services- Youth Welfare programme for Students - National Service Scheme"-₹1850.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Non-Students - Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram" - ₹1135.70 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.70 lakh);

(c) "Sports and Youth Services - Sports and Games" -

(i) "Assistance to National Sports Federations" - ₹3250.00 lakhs;

(ii) "Sports Authority of India"- ₹7500.00 lakhs;

(iii) "Laxmibai National Institute of Physical Education"-₹1000.00 lakhs;

(iv) "Khelo India"-₹7300.00 lakhs;

(v) "National Sports University" - ₹10714.00 lakhs;

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for the Development of Scheduled Castes"-₹1700.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under Provision to article 275(1) of the Constitution"- ₹2400.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh).

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(का) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – एन. एस. एस. के कार्यान्वयन के लिए अनुदान" – ₹7458.73 लाख की बचत (₹19236.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभागों द्वारा कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और केंद्रीय नोडल एजेंसी माडल के कार्यान्वयन में देरी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(i) "नेहरू युवक केंद्र संगठन" – ₹6708.94 लाख की बचत (₹40149.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (अम्बरेला योजना)" – ₹759.13 लाख की बचत (₹7085.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में जिला और राज्य स्तर पर युवा महोत्सव आयोजित किए जाने और कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "खेल और क्रीडा – राष्ट्रमंडल खेल" – ₹2040.31 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष धन जमा करने का माननीय उच्च न्यायालय का आगे कोई आदेश प्राप्त नहीं होने और केंद्रीय नोडल एजेंसी मादल के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "खेल और युवा सेवायें – छात्रों के लिए युवक कल्याण सेवायें" – ₹2647.38 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और केंद्रीय नोडल एजेंसी माडल के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2204"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Youth Welfare Programmes for Students - Grants for Implementation of NSS" - saving of ₹7458.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19236.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Departments and delay in implementation of Central Nodal Agency Model.

(B) "Youth Welfare Programmes for Non-Students" -

(i) "Nehru Yuva Kendra Sangathan"- saving of ₹6708.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40149.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram (Umbrella Scheme)"- saving of ₹759.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7085.00 lakhs) was due to organizing of less district and State level Youth festival and receipt of less claims.

(C) "Sports and Games - Commonwealth Games" - saving of ₹2040.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-receipt of any further direction from Hon'ble High Court, Delhi to deposit the money before the Hon'ble Court accumulated and delay in implementation of Central Nodal Agency Model.

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Sports and Youth Services- Youth Welfare Programme for Students" - saving of ₹2647.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less proposal and delay in implementation of Central Nodal Agency model.

(ख) “खेल और युवा सेवायें – खेल और क्रीड़ायें” – ₹6230.00 लाख की बचत (₹23500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय नोडल एजेंसी माडल के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण हुई।

(ग) “राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (अम्बरेला योजना)” – ₹692.32 लाख की बचत (₹2010.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में जिला और राज्य स्तर पर युवा महोत्सव आयुजित किए जाने और कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(डा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना” –

(क) “खेल और युवा सेवायें – छात्रों के लिए युवा कल्याण सेवायें” – ₹562.18 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और केंद्रीय नोडल एजेंसी माडल के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) “खेल और युवा सेवायें – खेल और क्रीडायें” – ₹900.00 लाख की बचत (₹10900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और केंद्रीय नोडल एजेंसी माडल के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण हुई।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1745.44 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का क्रमशः 10 से 36 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹19775.52 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2204” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹371.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:

(का) “खेल और क्रीडायें” –

(क) “भारतीय खेल प्राधिकरण” – ₹8524.45 लाख।

(b) “Sports and Youth Services- Sports and Games” - saving of ₹6230.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23500.00 lakhs) was due to delay in implementation of Central Nodal Agency model.

(c) “Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram (Umbrella Scheme)” - saving of ₹692.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2010.00 lakhs) was due to organizing of less distract and State level Youth festival and receipt of less claims.

(E) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Sports and Youth Services- Youth Welfare Programmes for Student” - saving of ₹562.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and delay in implementation of CNA module.

(b) “Sports and Youth Services - Sports and Games” - saving ₹900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10900.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and delay in implementation CNA module.

(III) Under four heads savings of ₹1745.44 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 36 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹19775.52 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹371.00 lakhs under Major Head “2204” - under the following heads: -

(A) “Sports and Games”-

(a) “Sports Authority of India”- ₹8524.45 lakhs.

(ख) "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" – ₹3099.95 लाख।

(ग) "खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" – ₹3800.79 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3878.81 लाख हुआ।

(घ) "खेलो इंडिया" – ₹4350.33 लाख।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय विदेशी यात्रा में युवा प्रतिनिधि मंडल का आदान प्रदान" – ₹522.84 लाख।

(ख) "राष्ट्रीय युवा वालंटिया रजिस्ट्री" – ₹814.35 लाख।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "2204" – "खेल और क्रीडायें" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "राष्ट्रीय खेल फ़ेडरेशनों को सहायता" – ₹2908.31 लाख का अधिक व्यय (₹20650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय" – ₹8124.70 लाख का अधिक व्यय (₹70.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्न अनुसार हुईः–

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹487.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थी।

(b) "National Sports Development Fund" - ₹3099.95 lakhs.

(c) "Incentive to Sports Persons" - ₹3800.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹3878.81 lakhs.

(d) "Khelo India" - ₹4350.33 lakhs.

(B) "International Cooperation"-

(a) "Exchange of Delegation of Youth at International Level Foreign Travel"-₹522.84 lakhs.

(b) "National Yuva Volunteer Registry"- excess of ₹814.35 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2204" - "Sports and Games" - under the following heads:-

(A) "Assistance to National Sports Federations" - excess of ₹2908.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20650.00 lakhs); and

(B) "National Sports University" - excess of ₹8124.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Heads "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Regional and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings occurred as under:-

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) Under one head saving of ₹487.00 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.